**न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं.**

पीठासीन अधिकारी ::: सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 78/2020

सरकार

बनाम

मुकेश कुमार, मनोज कुमार पुत्रगण दयानन्द, जाति–जाट, निवासी–रामरख की ढ़ाणी

**राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत**

निर्णय दिनांक : 21.10.2020

**निर्णय**

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान मुकेश कुमार, मनोज कुमार पुत्रगण दयानन्द, जाति–जाट, निवासी–रामरख की ढ़ाणी द्वारा रोही मौजा उधमपुरा की राजकीय भूमि ख.नं. 33 के कुल रकबा 0.32 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.03 है0 भूमि पर तारबन्दी कर अतिक्रमण की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि उक्त तारबन्दी तीन दिन में हटा लेंगे जबकि गैर सायलान को जारी नोटिस में दिनांक 21.10.2020 से पूर्व अपना कब्जा हटा लेने हेतु लिखा गया था। अतः गैर सायलान का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता। चूंकि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम पिचानवा की भूमि ख. नं. 198 की किस्म गै.मु. जोहड़ दर्ज है एवं माननीन राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/ 03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/ नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाव व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132 /2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 9 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 26 पर
वर्ष 2020-21 में रूपये 9/- कायम कि
राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़